भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या 05B/2013-14

मोहन महतो बनाम उपेन्द्र महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
26.5.2018	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता मोहन महतो पिता स्व0 हलधर महतो, ग्राम–आदित्यपुर, थाना–आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने गृह मरम्मति एवं कृषि कार्य हेतु क्रेता उपेन्द्र महतो, पिता–स्व0 शशिभूषण महतो, ग्राम– बांधडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है। अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते है। 26/05/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला।	